न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – डिक्री 17 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 16.01.2018

1. पप्पुपुरी पिता ऊंकारपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रकाशपुरी पिता ऊंकारपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रेमपुरी पिता ऊंकारपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

विरूद्ध -अपीलांट्गण

शंकरपुरी पिता नन्दपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय

1. पुरणपुरी पिता शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. प्रहलादपुरी पिता शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. धापु बाई पत्नि शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ

2. श्यामपुरी पिता नन्दपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. कैलाशदेवी पुत्री नन्दपुरी पत्नि भेरूपुरी जाति गुसाई निवासी सावा हाल लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
4. ठाकुरपुरी पिता मेघपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय
   1. मांगीबाई पत्नि ठाकुरपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   2. शिवली पुत्री ठाकुरपुरी पत्नि रमेशपुरी जाति गुसाई निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
5. हंसराजपुरी पिता मेघपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
6. अशोकपुरी पिता ऊंकारपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय
   1. सोनी देवी पत्नि अशोकपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. अमन कुमार पिता अशोकपुरी नाबालिग बविलायत माता सोनीदेवी पत्नि अशोकपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   3. रोहित कुमार पिता अशोकपुरी नाबालिग बविलायत माता सोनीदेवी पत्नि अशोकपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. भंवरपुरी पिता मोहनपुरी जाति गुसाई निवासी पाडनपोल चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. श्यामपुरी पिता मोहनपुरी जाति गुसाई- मृतक के बजाय
   1. रघुपुरी पिता श्यामपुरी जाति गुसाई निवासी पाडनपोल चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. पवनपुरी पिता श्यामपुरी जाति गुसाई निवासी पाडनपोल चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   3. सोहनदेवी पत्नि श्यामपुरी जाति गुसाई निवासी पाडनपोल चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. रमेशपुरी पिता ऊंकारपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय
   1. संतोषकुमार पिता रमेशचन्द जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2. हंसादेवी पत्नि रमेशचन्द जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

10. गोवर्धनपुरी पिता छगनपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय
1. कंचनबाई पत्नि गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रमेशपुरी पिता गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रभुपुरी पिता गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. समोरी बाई पिता गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. चांदी बाई पिता गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. नन्दु बाई पिता गोधर्वनपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

11. शम्भुपुरी पिता छगनपुरी जाति गुसाई-मृतक के बजाय
1. शिवपुरी पिता शम्भुपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रहलादपुरी पिता नानुपुरी जाति गुसाई निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

13. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 202/2013 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016

उपस्थित-
1. खुमराज कुमावत-अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश चन्द दायमा-रेस्पोडेन्ट सं. 2,4,5
3. दीपक शर्मा-रेस्पोडेन्ट सं. 9/2
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 13

निर्णय

दिनांक 29.11.2022

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण एवं रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मोजा ढाणी तहसील चित्तौड़गढ़ के नवीन आराजी नम्बर 389,390,394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमे अपीलान्टगण वादीगण एवं रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 6/1 से 6/3 मूलपुरूष ऊंकारपुरी के वारिसान है। विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलान्टगण वादीगण का 1/2 प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 5 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। तथा मौके पर उभयपक्षकारान अपने-अपने निहित हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान मे उक्त कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवाडा नही होने से आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिससे पक्षकारान के मध्य निहित हक व हिस्से अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन कराया जाना न्यायोचित होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से वादपत्र बंटवाड़ा कृषि आराजीयात पेश है। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण कृषि कार्य मे अवरोध पैदा करते है व अपीलान्टगण वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकियां देते है जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश है। अपीलान्टगण वादीगण का नाम ऊंकारपुरी की विरासत मे अंकित नही है जिसे दर्ज रेकार्ड कराया जावे व विवादित कृषि आराजीयात का पक्षकारान के मध्य हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित फरमाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस तामील मे विचाराधीन था व इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 30.05.2016 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। उक्त पत्रावली मे राजस्व लोक अदालत का पक्षकारान को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया, फिर भी अपीलान्ट सं. 1 वादी लोक अदालत मे उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के यह मानते हुए कि नकल जमाबन्दी खाता सं. 111 प्रस्तुत की है जिसमे आराजी नम्बर 351,352,379,384 अंकित है। वादपत्र मोजा ढाणी की आराजी नम्बर 389,390,394, कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर की प्रस्तुत की गई है जिससे वादीगण अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मे भिन्नता होने से वादीगण अपीलान्टगण का वादपत्र प्रमाणित नही होने से निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2,4,5, 9/2 व रेस्पोडेन्ट सं. 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलान्टगण वादीगण ने अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत कर उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 10,11,12 जो अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही रहे है, परन्तु विवादित कृषि आराजीयात मे उनका हक व हिस्सा निहित होने से उन्हे पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता. दिवानी मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दिवानी मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टगण 10,11,12 को अपील मे पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा ढाणी पटवार हल्का सामरी तहसील चित्तौड़गढ की आराजी नम्बर 389,390,394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली वास्ते तामील रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण मे विचाराधीन थी। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सावा मे नियत हुई जिसमे अपीलान्ट वादी पप्पुपुरी उपस्थित हुआ जिसके उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। अन्य पक्षकारान अनुपस्थित रहे। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व पत्रावली का राजस्व लोक अदालत के आंकडे दिखाने की भावना से बिना साक्ष्य सबुत लिये मात्र गलत जमाबन्दी प्रस्तुत हो जाने के आधार पर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत मे किसी प्रकार का राजीनामा नही हुआ है न ही सभी पक्षकारान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए है जिससे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होकर दावे से सुसंगत है जिनको रेकार्ड पर लिया जाकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित फरमाई जावे कि वह उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्टगण वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त कृषि आराजीयात के सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि सहखातेदारान प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जिनको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार कायम नही किया न ही अपीलान्टगण वादीगण ने वर्णित कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति ही प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक आपत्ति मानते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है। अपीलान्टगण वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 13 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने कृषि आराजीयात घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमे अपीलान्टगण वादीगण विवादित कृषि आराजीयात मोजा ढाणी की आराजी नम्बर 389,390,394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ जो जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है व खाता सं. 111 की आराजी नम्बर 351,352,379,384 कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर की प्रस्तुत की गई। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील मे विचाराधीन था। जमाबन्दी के सम्बन्ध मे किसी भी पक्षकार ने आपत्ति एतराज नही किया था। उक्त पत्रावली को जो अपरिपक्व पत्रावली थी जो राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। अपीलान्टगण वादीगण ने अपील के विचाराधीन रहते हुए आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र के साथ मोजा ढाणी की खाता सं. 136 मे दर्ज आराजी नम्बर 389,390,394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है जो दावे मे वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित होकर सुसंगत होने से उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियो को रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है। वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात की प्रमाणित प्रतियां रेकार्ड पर ली गई है जो दावे मे वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के पारित की गई है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 202/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सहखातेदार कंचनबाई, रमेशपुरी, प्रभुपुरी, समोरीबाई, चांदीबाई, नन्दुबाई व शम्भुपुरी के वारिसान शिवपुरी सोहनबाई व प्रहलादपुरी जो विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार है। पक्षकार प्रतिवादीगण कायम कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 28.12.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)